न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय, चन्दौली।

विद्युत वाद संख्या : 413 सन् 2026

राज्य बनाम मिथिलेश पाण्डेय

मु.अ.सं.: 1676 सन् 2022
धारा : 138(1)(b) विद्युत अधिनियम,
थाना : एंटी पावर थेफ्ट,
जनपद : चन्दौली।

आरोप

मैं, **पारितोष श्रेष्ठ,** अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय, चन्दौली आप अभियुक्त–**मिथिलेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामराज पाण्डेय** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

यह कि दिनांक 08.12.2022 को समय 17:05 बजे, स्थान बहद् ग्राम लोलपुर, अन्तर्गत थाना बलुआ, जिला चन्दौली में विद्युत चोरी के रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु विद्युत संयोजनों की जाँच विद्युत विभाग के अधिकारीगण/कर्मचारीगण द्वारा किया जा रहा था कि तत्क्रम में आप अभियुक्त के संयोजन को चेक किया गया तो पाया गया कि आप अभियुक्त के द्वारा बिना बकाया बिद्युत बिल जमा किये, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अपने विच्छेदित संयोजन को पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए अपने परिसर में पाया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त विरचित आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक : 13.07.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय,
चन्दौली।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुनकर दोषी न होने का अभिवाक किया तथा कथन किया कि उसके द्वारा सम्पूर्ण पैसा विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है।

दिनांक : 13.07.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय,
चन्दौली।

Digitally signed by PARITOSH SHRESHTHA
Date: 2026.08.06 14:41:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court